अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 97–48 / 2011–12

पुनम कुमारी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपील अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 884–1 आई.सी.डी.एस. सहरसा दिनांक 20.08.2011 अन्दर वाद सं0 50 / 11–12 में पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 97 / 2011–12 दायर किया गया है जो स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

यह अपीलवाद बाल विकास परियोजना सौरबाजार अन्तर्गत सहुरिया पश्चिम पंचायत के ऑगनबाड़ी केन्द्र बखरी पश्चिम केन्द्र सं0–71 से संबंधित है ।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के क्रम में बहस के दौरान कथन करते हैं कि दिनांक 02.08.2011 को शिखा स्वर्णिका, महिला पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना सौरबाजर द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र बखरी पश्चिम केन्द्र संख्या –71 का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र प्रायः बन्द रहने तथा टी0एच0आर0 वितरण नहीं करने का आरोप का उल्लेख किया गया हैं । महिला पर्यवेक्षिका के निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपने ज्ञापांक 827–1 दिनांक 13.08.2011 द्वारा अपीलार्थी को स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं निर्धारित सुनवाई की तिथि 18.08.11 के 11.00 बजे पूर्वाहन् में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निदेशित

किया गया ।

दिनांक 17.08.2011 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा का स्पष्टीकरण नोटिश अपीलार्थी को प्राप्त कराया गया व अपीलार्थी द्वारा 18.08.2011 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जो निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी कथन करते हैं कि कार्यालय ज्ञापांक 827–1 दिनांक 13.08.2011 द्वारा आरोप पत्र एवं स्पष्टीकरण से संबंधित पत्र दिनांक 17.08.2011 के संध्या 4.00 बजे प्राप्त कराया गया, जिसमें महिला पर्यवेक्षिका द्वारा 09.08.2011 को ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या –71 के निरीक्षण की बात कही गयी है । साथ ही इस पत्र में केन्द्र संचालन नहीं करने तथा अन्य अनियमितता का आरोप लगाया गया है जो निराधार है । निरीक्षण की तिथि 09.08.2011 को सेविका एवं सहायिका द्वारा संबंधित ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालित किया गया हैं और किसी भी पदाधिकारी द्वारा केन्द्र का निरीक्षण नहीं किया गया है ।

दिनांक 18.08.2011 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा सुनवाई की गयी । अपीलार्थी के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध चयनमुक्ति आदेश निम्न न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

अपीलवाद के सुनवाई के कम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि अपीलार्थी का चयन 2007 में ऑगनबाड़ी सेविका के पद पर सहुरिया पश्चिम पंचायत में ऑगनबाड़ी केन्द्र बखरी पश्चिम केन्द्र संख्या 71 पर हुई थी तभी से लगातार आई.सी.डी.एस. नियमावली के तहत केन्द्र का संचालन करती रही हैं तथा उक्त केन्द्र के पोषक क्षेत्र के सभी लाभुक अपीलार्थी के कार्य से संतुष्ट रहे हैं एवं उनकी कार्य की प्रशंसा की गयी हैं । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि निरीक्षी पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में निरीक्षण की तिथि दिनांक 02.08.2011 वर्णित है परन्तु स्पष्टीकरण में जॉच की तिथि 09.08.2011 बतायी गयी है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि 25 लाभुकों द्वारा दिनांक 01.10.11 को अपीलार्थी के पक्ष में शपथ पत्र द्वारा व्यान दिया गया है एवं मुखिया द्वारा निरीक्षण की तिथि को केन्द्र पर विधि पूर्ण पोषाहार बनने एवं सेविका एवं सहायिका के मौजूद रहने का लिखित बयान निरीक्षण पंजी में अंकित किया गया है, की छाया प्रति लिस्ट ऑफ कागजात के साथ उपलब्ध कराया गया है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि में समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के विहित प्रपत्र में यथा– पंजीकृत बच्चों की संख्या, बच्चों की उपस्थिति, सेविका तथा बच्चे पोशाक की स्थिति, केन्द्र की पंजियों की स्थिति, आदि के कंडिकाओं को क्रॉस किया गया है । विज्ञ अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि टी0एच0आर0 पंजी बिना देखे तथा पोषक क्षेत्र के लाभुक के बयान लिये बिना टी0एच0आर संबंधित आरोप लगाया गया है । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि वर्णित स्थिति से स्पष्ट होता है कि केन्द्र संख्या 71 की जॉच निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा नहीं की गई है तथा गलत जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । गलत जॉच प्रतिवेदन पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को पुनः संबंधित केन्द्र में बहाल करने हेतु अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा याचना की गई ।

सरकारी अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि निरीक्षी

पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन सही पाये जाने पर ही निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध चयनमुक्ति आदेश पारित किया गया है ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना । अभिलेख में रक्षित सभी कागजातों का सुक्ष्म अवलोकन किया ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनकर तथा अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तथ्यों के अवलोकनोपरांत अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि लाभुकों द्वारा एक ही तिथि दिनांक 01.10.11 को किए गए शपथ पत्र, मुखिया का निरीक्षण प्रतिवेदन जॉच की तिथि में भिन्नता की निम्न न्यायालय के स्तर पर जॉच /विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है । अतएव जॉच के दौरान उभरे तथ्यों को जॉच कर निम्न न्यायालय को समुचित आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ,

17/7/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

17/7/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।